

आदेश और प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गयी कार्रवाई
के बारे में
टिप्पणी सहित

2

3

न्यायालय, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर
दाखिल-खारीज अपील वाद सं०-XV/02/2007-08

मो० रिजवान ————— अपीलार्थी
बनाम

इरफान खॉ ————— विपक्षी

एवं

दाखिल-खारीज अपील वाद सं०-36/2022-23

इरफान खॉ ————— अपीलार्थी
बनाम

मो० रिजवान अहमद ————— विपक्षी

आदेश

दाखिल-खारीज अपीलवाद सं० 2/07-08 विद्वान अपर समाहर्ता पलामू के न्यायालय से दाखिल-खारीज रीविजन वाद सं० XV/10/09-10 में दिनांक 23.05.2011 का पारित आदेश की प्रति के साथ नये सिरे से आदेश पारित करने के निदेश के साथ रिमांड होकर प्राप्त हुआ है। वाद की विषयवस्तु मौजा-नावाबाजार, थाना-नावाबाजार, जिला-पलामू के खाता नं० 11 प्लॉट नं० 557 रकबा 19 डी० है। दाखिल-खारीज अपील वाद सं० XV/36/22-23 विद्वान अंचल अधिकारी नावाबाजार द्वारा दाखिल-खारीज वाद सं० 112/16-17 में दिनांक 21.01.2017 का पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश के द्वारा विपक्षी के नाम से मौजा+थाना-नावाबाजार, जिला-पलामू के खाता नं० 11 प्लॉट नं० 287 रकबा 06½ डी० एवं प्लॉट नं० 557 रकबा 09 डी० कुल रकबा 15½ डी० भूमि का दाखिल-खारीज स्वीकृत किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी तथा अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

P.N.
6034

P.N.
10.11

प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी का मेमोरीफ अर्ज एवं विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया।

दोनों वादों की विषयवस्तु एवं पक्षकार एक ही है, इसलिए दोनों वादी एक साथ सुनवाई कर एक साथ आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के अनुसार मौजा-नावाबाजार, थाना-नावाबाजार के खाता न० 11 प्लॉट 557 रकबा 55 डी० भूमि कासीम अली के नाम से दर्ज था। कासीम अली को दो पुत्र 1. फतु खॉं एवं 2. अहमद अली हुए। खाता न० 11 प्लॉट न० 557 पारिवारिक व्यवस्था में अहमद अली को आवंटित हुआ। अहमद अली के चार पुत्र 1. मो० सदीक 2. मो० रफीक 3. अब्दुल आस खॉं 4. जैनुल आवेदीन खॉं हुए। जैनुल आवेदीन खॉं का अपने पिता के जीवनकाल में मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारियों को हिस्सा नहीं मिला। तीन पुत्रों में भूमि का बँटवारा में मो० रफीक को प्लॉट 557 में 19 डी० अन्य भूमि के साथ मिला। रफीक खॉं ने प्लॉट न० 557 का रकबा 19 डी० अपने पुत्र अख्तर आलम को वर्ष 1994 में मौखिक रूप से दान में दे दिया। अख्तर आलम ने निबधित केवाला सं० 11407 दिनांक 02.12.2005 से अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री कर प्लॉट 557 रकबा 19 डी० भूमि अपीलार्थी को दखल-कब्जा दे दिया। निबधित दस्तावेज एवं दखल-कब्जा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल-खारीज वाद सं० 12/05-06 से दाखिल-खारीज होकर जमाबंदी कायम है। विपक्षी ने उक्त दाखिल-खारीज आदेश के विरुद्ध उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर मेदिनीनगर के न्यायालय में दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 2/07-08 दायर किया था, जो खारीज हो गया। तत्पश्चात् अपर समाहर्ता, पलामू के न्यायालय में रीविजन वाद सं० XV/10/09-10 दायर किया जिसे गलत तरीके से निरस्त करते हुए अभिलेख रिमांड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है, जो अभी निर्णय के लिए लंबित है। इसी बीच विपक्षी ने तथ्यों को छुपाकर प्लॉट सं० 557 में 09 डी० भूमि का दाखिल-खारीज का आवेदन अंचल अधिकारी को दिया। अंचल अधिकारी ने दाखिल-खारीज वाद सं० 112/16-17 संधारित कर बिना स्थलीय जाँच एवं अपीलार्थी को बिना सूचना दिए दाखिल-खारीज स्वीकृत किया है, जो अवैध एवं निरस्त किए जाने के योग्य है। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि अपीलार्थी के नाम दाखिल-खारीज वाद सं० 12/05-06 से 19 डी०

नफ अपील

में से

का स्वीकृत दाखिल-खारीज आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वारा दायर दाखिल-खारीज अपील बाद सं० 02/07-08 निराधार एवं अवैध है जो खारीज के योग्य है।

विपक्षी का दावा है कि मौज-नवाबाजार का खता नं० 11 प्लॉट नं० 867 रकबा 55 डी० भूमि अहमद अली खों के नाम दर्ज था। अहमद अली खों के चार पुत्र सदीक खों, रफीक खों, अब्दुल्ला खों एवं जैनुल आवेदीन खों हुए। जैनुल आवेदीन खों का अपने पिता के जीवनकाल में ही देहान्त हो गया, इसलिए मुस्लिम ली के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को पिता द्वारा अर्जित भूमि में हिस्सा समाप्त हो गया। तीन बड़े पुत्रों में 55 डी० भूमि के बंटवारा करने पर रफीक खों को $18\frac{1}{3}$ डी० भूमि हिस्सा में मिला। रफीक खों के चार पुत्र 1. अख्तर आलम 2. भकबुल खों 3. मतीन खों 4. सईद खों हुए। पिता की मृत्यु के बाद प्रत्येक को 04 $\frac{1}{2}$ डी० भूमि हिस्सा में मिला। विपक्षी ने दो पुत्रों 1. मतीन खों एवं 2. सईद खों से उनके हिस्से की 09 डी० भूमि निबधित केवाला सं० 774/2007 के माध्यम से खरीदा और दखल-कब्जा में आए, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल-खारीज वाद सं० 112/16-17 से दाखिल-खारीज स्वीकृत किया गया है, जो दाखिल-खारीज के लिए स्थापित नियमों के अनुकूल है। विपक्षी का आगे दावा है कि रफीक खों के पुत्र अख्तर आलम को प्लॉट सं० 557 में मात्र 04 $\frac{1}{2}$ डी० भूमि हिस्सा में मिला, जबकि अख्तर आलम ने 04 $\frac{1}{2}$ डी० भूमि के स्थान पर 19 डी० भूमि निबधित केवाला सं० 11704 दिनांक 08.12.2005 के माध्यम से अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री कर दिया। तथ्यों को छुपाकर अपीलार्थी ने दाखिल-खारीज वाद सं० 12/05-06 दायर किया। अंचल अधिकारी द्वारा बिना स्थलीय जाँच एवं विक्रेता के अन्व भाईयों (विपक्षी) को बिना सूचना दिए ही दाखिल-खारीज स्वीकृत कर दिया गया है जिसके विरुद्ध विपक्षी ने दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 02/07-08 दायर किया जो दिनांक 02.03.2009 को खारीज हो गया। विपक्षी ने अपर समाहर्ता, पलामू के न्यायालय में दाखिल-खारीज रीविजन वाद सं० XV/10/09-10 दायर किया। अपर समाहर्ता, पलामू द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2011 को निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अर्थात् दाखिल-खारीज एवं दाखिल-खारीज अपील निरस्त कर इस न्यायालय में पुनः सुनवाई कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्राप्त है। इस बदले परिस्थिति में ही दखल-कब्जा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के नाम से दाखिल-खारीज स्वीकृत किया गया है, जिसमें

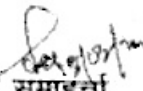
हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है। विपक्षी ने अपीलार्थी के नाम से दाखिल-खारीज वाद सं० 12/05-06 से स्वीकृत दाखिल-खारीज आदेश को निरस्त करते हुए दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 2/07-08 को स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

दोनों अभिलेखों के साथ संलग्न कागजात का अवलोकन किया। दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि मौजा-नावाबाजार के खाता नं० 11 प्लॉट नं० 557 रकबा 55 डी० भूमि अहमद अली की थी। यह भी स्वीकार करते हैं कि अहमद अली के चार पुत्र 1. सदीक खॉ 2. रफीक खॉ 3. अब्दुल आस खॉ 4. जैनुल आवेदीन हुए। जिनमें से एक जैनुल आवेदीन की पिता के जीवनकाल में देहान्त हो गया। शेष बचे तीनों भाईयों सदीक, रफीक एवं अब्दुल आस के बीच भूमि का बँटवारा में प्रत्येक को प्लॉट नं० 557 में रकबा $18\frac{1}{3}$ डी० भूमि हिस्सा में मिला। इस प्रकार रफीक खॉ को $18\frac{1}{3}$ डी० भूमि हिस्सा में मिला। रफीक खॉ के चार पुत्र 1. अख्तर आलम 2. मकबुल खॉ 3. मतीन खॉ 4. सईद खॉ हुए। चारों भाईयों की बीच आपसी बँटवारा में प्रत्येक को $4\frac{1}{2}$ डी० भूमि हिस्सा में मिला, जबकि अख्तर आलम ने $4\frac{1}{2}$ डी० के स्थान पर 19 डी० भूमि मो० इरफान (दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 2/07-08 के विपक्षी एवं दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 36/22-23 के अपीलार्थी) को विक्री कर दिया है। जिसपर आदेश पारित करने के पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा विचार नहीं कर $4\frac{1}{2}$ डी० के स्थान पर 19 डी० का दाखिल-खारीज स्वीकृत कर दिया है। इसलिए अंचल अधिकारी द्वारा मो० इरफान के नाम से 19 डी० का किया गया दाखिल-खारीज अवैध है। यह भी स्पष्ट होता है कि मो० रिजवान (दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 2/07-08 के अपीलार्थी एवं दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 36/22-23 के विपक्षी) को मतीन खॉ एवं सईद खॉ से उनके हिस्से की $4\frac{1}{2} + 4\frac{1}{2}$ डी० कुल 09 डी० भूमि केवाला से प्राप्त है जिसके आधार पर 09 डी० भूमि का दाखिल-खारीज वाद सं० 112/16-17 से दाखिल-खारीज हुआ है, जो सही एवं उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल-खारीज वाद सं० 12/05-06 में मो० इरफान खॉ के नाम से पारित दाखिल-खारीज आदेश निरस्त किया जाता है तथा दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 2/07-08 में अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार दाखिल-खारीज वाद सं० 112/16-17 में मो० रिजवान के नाम से अंचल

न-खारीज
रते हुए
किया

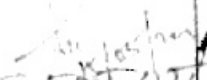
अधिकारी द्वारा पारित दाखिल-खारीज आदेश बहाल रखा जाता है तथा दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 36/22-23 में अपीलार्थी मो० इरफान का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


उप समाहर्ता,
भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।


उप समाहर्ता,
भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

नामांक 390 दिनांक - 15.5.24
पुनः लिखित अंशल रजिस्ट्रार नावा नामा
रहने सुचकाली सुचि।


उप समाहर्ता,
भूमि सुधार,
मेदिनीनगर।